सं0-32/2015/42/62-2-2015-2/3(31)/2011

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 18 फरवरी,2015

विषय- नवसृजित जनपदों हापुड, शामली एवं सम्भल में लघु सिंचाई विभाग के स्थापित कार्यालय हेतु सृजित पदों की निरन्तरता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-73/स्था0-5(1)/2014-15, दिनांक 05-01-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- नवसृजित जनपदों हापुड, शामली एवं सम्भल में लघु सिंचाई विभाग के प्रखण्डीय कार्यालय की स्थापना तथा कार्यो के समुचित सम्पादन हेतु शासनादेश सं0-1433/62-2-2014-2/3(31)/2011, दिनांक 09-6-2014 द्वारा निम्नलिखित अस्थाई राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों की निरन्तरता दिनांक 28-02-2015 तक प्रदान की गयी थी:-

| क्र0सं0 | पद का नाम | वेतनमान | सदृश्य ग्रे0पे0 | पद की संख्या | तीनों जनपदों के लिए कुल पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1- | अधिशासी अभियंता | वेतन बैण्ड-3 (15600-39100) | 6600 | 01 | 03 |
| 2- | सहायक अभियंता | वेतन बैण्ड-3 (15600-39100) | 5400 | 01 | 03 |
| 3- | खण्डीय लेखाधिकारी | भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान | भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान | 01 | 03 |
| 4- | अवर अभियंता | वेतन बैण्ड-2 (9300-34800) | 4200 | 01 | 03 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5- | ज्येष्ठ सहायक | वेतन बैण्ड-1 (5200-20200) | 2800 | 01 | 03 |
| | लिपिक संवर्ग की सेवा नियमावली 22 सितम्बर,2014 के प्रख्यापनोपरांत नामित पद नाम प्रधान सहायक | नियमावली के प्रख्यापन उपरांत सादृश्य वेतन बैण्ड-2 (9300-34800) | 4200 | | |
| 6- | लेखा लिपिक | वेतन बैण्ड-1 (5200-20200) | 2400 | 01 | 03 |
| | लेखा संवर्ग की सेवा नियमावली 07 नवम्बर,2014 के प्रख्यापनोपरांत नामित पद नाम सहायक लेखाकार | नियमावली के प्रख्यापन उपरांत सादृश्य वेतन बैण्ड-2 (5200-20200) | 2800 | | |
| 7- | आशुलिपिक | वेतन बैण्ड-1 (5200-20200) | 2400 | 01 | 03 |
| | आशुलिपिक सवंर्ग की सेवा नियमावली 06 जून,2014 के प्रख्यापनोपरान्त नामित पद आशुलिपिक | नियमावली के प्रख्यापन उपरांत सादृश्य वेतन बैण्ड-1 (5200-20200) | 2800 | | |
| 8- | कनिष्ठ सहायक | वेतन बैण्ड-1 (5200-20200) | 2000 | 02 | 06 |
| | योग- | | | 09 | 27 |

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उपरोक्त पदों को पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 29-02-2016 तक चलते रहने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत **"लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-लघु सिंचाई योजना"** के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

ह0/

(चन्द्र प्रकाश)

प्रमुख सचिव।

सं0-32/2015/42(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- संबंधित मण्डलायुक्त।

3- संबंधित जिलाधिकारी।

4- संबंधित कोषाधिकारी।

5- संबंधित अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई प्रखण्ड।

6- संबंधित सहायक अभियंता, लधु सिंचाई।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

8- वित्त वेतन आयोग-1/2

9- राजस्व अनुभाग-5

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।